अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

बंधनु उरॉव
बनाम
सिद्दीक मियाँ

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **01/2018–19**

वाद का प्रकार :– विविघ अपील (Miscellaneous Appeal)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के परिपत्र सं0–(सं0स015/नि0 विविध) जन आवेदन–04/16–930, दिनांक–21.09.2016 के आलोक में आवेदक श्री बंधनु उरॉव पिता– स्व0 बोखा उरॉव, ग्राम–कुदरा थाना–सिसई जिला–गुमला के द्वारा दस्तावेज निष्पादक/दावेदार मो0 सिद्दीक मियाँ, पिता–हनीफ मियाँ ग्राम वो थाना–सिसई जिला–गुमला के विरुद्ध परिवाद पत्र समर्पित किया गया है, जो जिला अवर निबंधक, गुमला के पत्रांक–200 दिनांक–22.06.2018 के माध्यम से प्राप्त है। उक्त में उनके द्वारा दस्तावेज निष्पादक/दावेदार बालेश्वर साहु के विरुद्ध प्रतिरुपण (Impersonation) या फर्जी/जाली कागजातों तथा साक्ष्य के आधार पर निम्नांकित भूमि को निष्पादित निबंधित बिक्री पट्टा सं0–2575/2702 दिनांक–11.02.2013 द्वारा निबंधित करने का शिकायत करते हुए उक्त निबंधन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध करते है:–

क0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट स0	रकबा (एकड़ में)
1	कुदरा	77	42	1103	1.05
	कुल				**1.05**

अभिलेख का अवलोकन किया अंचल अंधिकारी सिसई के पत्रांक–318 दिनांक–15.05.2020 के प्रतिवेदन/मंतव्य के आधार पर मौजा–कुदरा के खाता सं0–42 प्लॉट सं0–1103 रकबा–1.05 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत गोन्दा उरॉव वगै0 के नाम दर्ज है जो आदिवासी खाते की भूमि है। आदिवासी खाते की भूमि होने के कारण आवेदक को विधिक सेवा प्रदान करते हुए उनकी खतियानी भूमि वापस दिलाने हेतु आवश्यक मदद की जाय।

अत उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुमला को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.11.23 16:55:22 +05:30
Location: 192.168.82.106

उपायुक्त,
गुमला

24.04.20

उपायुक्त,
गुमला